कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वृत्त, इलाहाबाद।

पत्रांक :– 1257 /15–1, दिनांक, इलाहाबाद, अक्टूबर 13, 2016।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :– 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी–बारा पारेषण लाईन सर्किट–1 के निर्माण कार्य हेतु 19.474 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– आपका पत्रांक–2520/11–सी–FP/UP/Trans/15538/2015, दिनांक 26.05.2016।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी–बारा पारेषण लाईन सर्किट–1 के निर्माण कार्य हेतु 19.474 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु उल्लिखित कमियों का बिन्दुवार निराकरण करते हुए अपेक्षित आख्या प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, इलाहाबाद ने अपने पत्रांक 1121/15, दिनांक 06–10–2016 द्वारा आपको प्रेषित की गयी है, उक्त प्रस्ताव से सम्बन्धित वृत्त स्तर से आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

बिन्दु संख्या	आपत्ति	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	ऑन लाईन इन्ट्री के भाग–1 व भाग–2 में जनपद औरया एवं मैनपुरी से सम्बन्धित सूचनाएं संलग्न नही की गयी है। भाग–1 व भाग–2 पूर्ण कर संलग्न करें।	इलाहाबाद वन प्रभाग से सम्बन्धित नही है।
2	ऑन लाईन इन्ट्री के भाग–1 में औरया जनपद में प्रस्तावित वनभूमि 0.2176 हे0 अंकित की गयी है परन्तु भाग–2 में 0.1024 अंकित किया गया है। सही स्थिति अपलोड करें।	इलाहाबाद वन प्रभाग से सम्बन्धित नही है।
3	एफ0आर0ए0–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र में औरया, मैनपुरी व कानपुर देहात में पत्रांक अंकित नही है।	इलाहाबाद वन प्रभाग से सम्बन्धित नही है।
4	मक डिस्पोजल योजना मैनपुरी के अतिरिक्त अन्य जनपदों की संलग्न की जाये।	मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय निदेशक, इलाहाबाद द्वारा **संलग्नक–1** के रूप में संलग्नकर प्रेषित की गयी है।
5	Cost Benefit Analysis निर्धारित प्रारूप में संलग्न नही है।	Cost Benefit Analysis आवश्यक नही है।
6	समस्त जनपदों में अपलोड किये गये वृक्षों की सूची अलग से संलग्न की गयी वृक्षों की सूची में समानता नही है, स्थिति स्पष्ट करें। जनपदवार पारेषण लाईन में आने वाले कुल वृक्षों की सूची, बाधक वृक्षों की सूची जिनका पातन किया जाना है, अलग–अलग संलग्न करें।	इलाहाबाद वन प्रभाग में 15 वृक्षों का पातन निहित है। प्रभागीय निदेशक, इलाहाबाद द्वारा **संलग्नक**–2 के रूप में संलग्नकर प्रेषित की गयी है।
7	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट समस्त जनपदों की संलग्न की गयी है, परन्तु उक्त रिपोर्ट पर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के सील सहित हस्ताक्षर नही है।	इलाहाबाद वन प्रभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में प्रभागीय वनाधिकारी के सील व हस्ताक्षर सहित **संलग्नक**–3 के रूप में संलग्नकर प्रेषित की गयी है।
8	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इलाहाबाद द्वारा 14.84 का दोगुना चयनित किया गया है जबकि इलाहाबाद में आरक्षित वन भूमि भी प्रभावित हो रही है। स्थिति स्पष्ट करें। क्योंकि आरक्षित वन भूमि के विरूद्ध प्रयोक्ता द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली समतुल्य भूमि 14.411 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जाना होगा। अन्य जनपदों की चयनित भूमि प्रस्ताव में एक	इलाहाबाद वन प्रभाग में 14.84 हे0 वन भूमि प्रभावित हो रही है। जिसका दोगुना अवनत वन भूमि पर वृक्षारोपण वनीकरण हेतु स्थल का चयन किया गया है।

	साथ लगाया जाये।	
9	प्रयोक्ता द्वारा पृष्ठ 198 पर वचनबद्धता दी गयी है वह त्रुटिपूर्ण है कृपया स्थिति स्पष्ट करें। प्रत्येक जनपद हेतु लीज पर दिये जाने वाले की अवधि अलग-अलग वर्षों हेतु दी गयी है जो त्रुटिपूर्ण है कृपया स्थिति स्पष्ट करें।	इलाहाबाद वन प्रभाग से सम्बन्धित नही है।
10	समस्त अभिलेखों में प्रत्येक अभिलेख समस्त जनपदों के एक साथ लगाकर पृष्ठ संख्या कर प्रस्ताव संशोधित करें।	इलाहाबाद वन प्रभाग स्तर से अपेक्षित नही है।
11	औरैया जनपद में 0.2176 हे0 संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है अथवा 0.1024 हे0 वन भूमि स्थिति स्पष्ट करते हुये जनपद औरया के समस्त संलग्नक अभिलेखों को संशोधित करें।	इलाहाबाद वन प्रभाग से सम्बन्धित नही है।
12	बौने औषधीय वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन समस्त जनपदों का प्राक्कलन संलग्न करें।	इलाहाबाद वन प्रभाग से सम्बन्धित बौनें औषधीय वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन प्रभागीय निदेशक, इलाहाबाद द्वारा **संलग्नक**-4 के रूप में संलग्नकर प्रेषित की गयी है।
13	दोगुने अवनत वनभूमि का प्राक्कलन सिर्फ इलाहाबाद जनपद के क्षेत्रीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर से संलग्न किया गया है। प्रभागीय निदेशक से हस्ताक्षर सील सहित कराये इसके अतिरिक्त अन्य जनपदों के भी संलग्न प्राक्कलन में सील सहित सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों के हस्ताक्षर करायें।	इलाहाबाद वन प्रभाग के दोगुने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रभागीय निदेशक, इलाहाबाद के सील व हस्ताक्षर सहित **संलग्नक**-5 के रूप में संलग्नकर प्रेषित की गयी है।
14	प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के डिजिटल मैप पर (11.00 हे0) सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी हस्ताक्षर नही है।	प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के डिजिटल मैप पर (11.00 हे0) में प्रभागीय वनाधिकारी हस्ताक्षर अंकित कर **संलग्नक**-6 के रूप में संलग्नकर प्रेषित की गयी है।
15	गजट नोटिफिकेशन के समस्त संलग्नकों को प्रमाणित करायें।	प्रभागीय निदेशक, इलाहाबाद द्वारा **संलग्नक**-7 के रूप में संलग्नकर प्रेषित की गयी है।
16	समस्त अभिलेख जनपदवार लगाकर संशोधित समेकित प्रस्ताव प्रेषित करें।	इलाहाबाद वन प्रभाग स्तर से अपेक्षित नही है।

भवदीय,

(बी0 प्रभाकर)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वृत्त, इलाहाबाद।

पत्रांक :- 1257 / समदिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, इलाहाबाद को उनके पत्रांक 1121/15, दिनांक 06-10-2016 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(बी0 प्रभाकर)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वृत्त, इलाहाबाद।

96